सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 19/2016

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री देवीशंकर अग्रवाल पुत्र श्री कुन्जबिहारी अग्रवाल उम्र 56 वर्ष निवासी श्री जी चौक वार्ड नं. 32 पुराने अस्पताल के सामने बारां। मेसर्स पवन किराना स्टोर, दीनदयाल पार्क बारां

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हरिओम चर्तुवेदी एडवोकेट (अप्रार्थी की ओर से)

निर्णय दिनांक 21.02.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2015 को समय 03:15 पी.एम. पर मेसर्स पवन किराना स्टोर, दीनदयाल पार्क बारां पर पहुंचा। वहां पर श्री देवीशंकर अग्रवाल पुत्र श्री कुन्जबिहारी अग्रवाल विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे, की उपस्थिति में निरीक्षण किया। वहां पर खाद्य पदार्थ चना दाल 20 किलो कट्टे रखे हुये थे। विक्रेता को स्वंय का परिचय देकर मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना हेतु अवगत करवाया तथा खाद्य पदार्थ चना दाल 20 किलो के कट्टे में से 4 किलो वास्ते नमूना जांच खरीदी तथा 240/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा मौके पर नमूना लेने की सूचना देने हेतु फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। नियमानुसार फर्द रिपोर्ट तैयार की तथा पढ़कर विक्रेता, गवाहान को सुनाया तथा उनके हस्ताक्षर करवाकर स्वंय हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य पदार्थ 4 किलो चना दाल को अलग अलग चार नमूना भाग में चार खाली साफ एवं सूखे डिब्बों में भरकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के लेबल चिपकाये। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा चारों नमूना भागों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री सूरजमल प्रजापति, च.श्रे. कर्मचारी द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक को डी.ओ. मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2015/413 दिनांक 28.11.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/142/एक्ट/2015/1183 दिनांक 18.11.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते

नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ, चना दाल सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश हुआ कि परिवादी ने खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट के क्रम 4 क्षत अनाज के मानक 5.0 प्रतिशत से अधिक परिणाम 5.78 प्रतिशत के आधार पर दी गयी अमानक राय अनुसार परिवाद पेश किया गया है जो संज्ञान योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ चना दाल का लिया गया नमूना विधि, प्रक्रिया एवं प्रावधानों से असंगत एवं मनमाना होने से अवैधानिक है। आवेदक ने दाल 20 किलो के कट्टे का पृथक मिश्रण किये बिना 4 किलो चना दाल नमूना हेतु क्रय की जो नमूना लिये जाने के विधिक प्रावधानो से असंगत होने से अमान्य एवं अवैधानिक है। आवेदक द्वारा प्रकरण में स्वंतत्र गवाह नहीं बनाये गये हैं। खाद्य विश्लेषक जयपुर को नमूना भिजवाने तक पेकिट के परिवहन एवं रखरखाव की व्यवस्था पूर्ण नही की जिसके कारण खाद्य पदार्थ क्षत हुआ है। अप्रार्थी ने चना दाल झूलेलाल ट्रेडिंग कम्पनी पुरानी धान मण्डी कोटा से जर्ये बिल खरीदी । आवेदक ने सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के बिना अप्रार्थी से चना दाल का नमूना लिया है। आवेदक ने सीलबन्द पेकिग से नमूना ना लेकर 10 किलो के कट्टे से नमूना लिया था। सील पेक कट्टे की चना दाल का मिश्रण (पाला) न कर लिया गया नमूना विधि के प्रावधानो से असंगत है। अप्रार्थी के विरूद्ध लम्बित परिवाद निरस्त फरमायें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ चना दाल का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा विक्रय किया जा रहे खाद्य पदार्थ चना दाल में कोई मिलावट नहीं की गयी। मात्र क्षत अनाज के मानक 5 प्रतिशत से अधिक परिणाम 5.78 प्रतिशत के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध चना दाल सब स्टेण्डर्ड होने का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा विक्रय की गई चना दाल खाद्य के रूप में अवमानक नहीं है मात्र क्षत अनाज का मानक प्रतिशत अधिक आने से यह प्रकरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निराधार होने से निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ चना दाल जॉच मे सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को कुल 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)